



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032020-218744
CG-DL-E-18032020-218744

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 998]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 16, 2020/फाल्गुन 26, 1941

No. 998]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 16, 2020/PHALGUNA 26, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2020

का.आ. 1105(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1834(अ) तारीख 21.06.2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर -चंपा जिले में NH-200(नई NH-49) के कि.मी. 178.944 से कि.मी. 240.000 तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "12.07.2019 " को "दैनिक भास्कर" और "मूलमंत्र" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर -चंपा जिले में NH-200(नई NH-49) के कि.मी. 178.944 से कि.मी. 240.000 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: छत्तीसगढ़			जिले का नाम: जांजगीर -चंपा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: जांजगीर				
	गांव का नाम: खोखरा				
1	31 / 1	निजी	कृषि	0.146	सुंदरलाल , श्यामलाल , श्यामसुंदर सारथी पिता रामनाथ सारथी , केवरा बाई , केवरी बाई पिता रामनाथ , कचरा बाई सारथी पति रामनाथ सारथी , छेदीलाल , सूरज बाई पिता रामदयाल सारथी , छतराम पिता सुलऊ सा. दे. भू . स्वामी (३१/१)
	गांव का नाम: पिसोद				
2	2388 / 1	निजी	कृषि	0.008	हेतराम पिता छेदूराम सा. दे. भू. स्वामी (२३८८/१)
3	2388 / 10	निजी	कृषि	0.004	चंद्र कुमार पिता छेदूराम सा. देह. भू. स्वामी (२३८८/१०)
4	2388 / 11	निजी	कृषि	0.008	राज कुमार पिता छेदूराम सा. दे. भू. स्वामी (२३८८/११)
	गांव का नाम: पीथमपुर				
5	1056 / 3	निजी	कृषि	0.004	सुन्दर, तिहारु, फिरतु, फिरतीन पिता

					पुलतू सा. दे. भू. स्वामी (१०५६/३)
6	1057 / 1 (1059 / 1)	निजी	कृषि	0.04	भगाउ पिता नारायण, राम कुमार, मनोज कुमार, राज कुमार, प्रहलाद सोनसाय पिता सोने सा . दे . भू . स्वामी (१०५७/१(१०५९/१))
7	1063 / 1 (1064 / 1)	निजी	कृषि	0.02	बद्री प्रसाद, रमाकांत, अशोक कुमार सा. दे. भू. स्वामी (१०६३/१(१०६४/१))
8	1435 / 1	निजी	कृषि	0.045	बनीजराम पिता राधेश्याम, हेमलाल, आरती, दमयंती पिता राधेश्याम सा . दे . भू . स्वामी (१४३५/१)
9	1436 / 1	निजी	कृषि	0.02	भगाउ पिता नारायण, राम कुमार, मनोज कुमार, राज कुमार, प्रहलाद सोनसाय पिता सोने सा . दे . भू . स्वामी (१४३६/१)
10	1437 / 1	निजी	कृषि	0.004	बनीजराम पिता राधेश्याम, हेमलाल, आरती, दमयंती पिता राधेश्याम सा . दे . भू . स्वामी (१४३७/१)
			कुल	0.299	

[फा.सं RW/NH-37014/18/2010/NHDP-IVA/3D1]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th March, 2020

S.O. 1105(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. No.2044(E) dated 21.06.2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH-200(NEW NH-49) on the stretch of land from Km. 178.944 to 240.000 tehsil Janjgir in the district of JANJGIR -CHAMPA in the state of CHHATTISGARH;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Danik Bhaskar" and "Mool Mantra" both dated 12.07.2019; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-200(NEW NH-49) in the stretch of land Km.178.944 to Km. 240.00 tehsil Janjgir in the district of JANJGIR -CHAMPA in the state of CHHATTISGARH.

State: CHHATTISGARH			District: JANJGIR -CHAMPA		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
Taluk: Janjgir					
Village: Khokhra					
1	31 / 1	Private	Agriculture	0.146	Sundarlal, Shyamlal, Shyamsundar sharthi s/o Ramnath Sharthi, Kewara bai, Kevri Bai d/o Ramnath, Kachrabai w/o Ramnath sharthi, Chhedilal , Suruj bai s/o Ramdhyaal Sharthi , Chhatram s/o pita Sulau sa. deh. bhu. Swami 31/1
Village: Pisaud					
2	2388 / 1	Private	Agriculture	0.008	Hetram s/o Chheduram sa. deh. bhu. Swami 2388/1
3	2388 / 10	Private	Agriculture	0.004	Chandra Kumar s/o Chheduram sa. deh. bhu. Swami 2388/10
4	2388 / 11	Private	Agriculture	0.008	Raj Kumar s/o Chheduram sa. deh. bhu. Swami 2388/11
Village: Pithampur					
5	1056 / 3	Private	Agriculture	0.004	Sundar , Tiharu, Firtu, Firtin s/o Pultu sa. deh. bhu. Swami 1056/3
6	1057 / 1 (1059 / 1)	Private	Agriculture	0.04	Bhagau s/o Narayan, Ram kumar, Manoj kumar, Raj kumar, Prahalad s/o Sonsai Sa. deh. bhu . Swami 1057/1(1059/1)
7	1063 / 1 (1064 / 1)	Private	Agriculture	0.02	Badri Prasad, Ramakant, Ashok kumar sa. deh. bhu. Swami 1063/1(1064/1)
8	1435 / 1	Private	Agriculture	0.045	Banijram s/o Radheshyam, Hemlal, AArti, Damyanti s/o Radheshyam sa. deh. bhu. Swami 1435/1
9	1436 / 1	Private	Agriculture	0.02	Bhagau s/o Narayan, Ram kumar, Manoj

					kumar, Raj kumar, Prahalad s/o Sonsai Sa. deh. bhu . Swami 1436/1
10	1437 / 1	Private	Agriculture	0.004	Banijram s/o Radheshyam, Hemlal, AArti, Damyanti s/o Radheshyam sa. deh. bhu. Swami 1437/1
			TOTAL	0.299	

[F. No. RW/NH-37014/18/2010/NHDP-IVA/3D1]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.